

## भाग - 3 संशोधित अधिकारों का प्रत्यायोजन / सामान्य मामले

क्रमांक	विषय वस्तु	प्राधिकारी	वर्तमान अधिकार	संशोधित अधिकार	टिप्पणियां
1.	नकद जमा के लिये समझौता, बैंक खाता खोलना तथा एल सी की स्थापना एवं विलेख (डीड) / प्रपत्र अथवा अन्य दस्तावेजों का कार्यान्वयन	निदेशक (वित्त)	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
2	बैंक में खाता खोलना, उसका संचालन एवं डीड / प्रपत्र अथवा अन्य दस्तावेजों का कार्यान्वयन	निदेशक (वित्त)	बैंकों में उन जगहों में, जहां आवश्यक हो, चालू खाता खोलने तथा उनका संचालन करने संबंधी पूर्ण अधिकार	बैंकों में उन जगहों में, जहां आवश्यक हो, चालू खाता खोलने तथा उनका संचालन करने संबंधी पूर्ण अधिकार	
3.	बैंक खाते का संचालन करने के लिये अधिकार पत्र	निदेशक (वित्त)	बैंक खातों का संचालन करने के लिये कंपनी के अधिकारियों को नामांकित करने के पूर्ण अधिकार	बैंक खातों का संचालन करने के लिये कंपनी के अधिकारियों को नामांकित करने के पूर्ण अधिकार	

4.	कानूनी मामले	निदेशक (वित्त)	निम्नानुसार	निम्नानुसार	
	<p>कंपनी, इसके कर्मचारियों, इससे संबंधित मामलों के खिलाफ दायर किसी भी तरह के मुकदमे अपील, पुनर्मूल्यांकन, पुनरीक्षण, रिट* पिटीशन, आदि में हस्तक्षेप, मध्यस्थता, बचाव, बहिष्कार जैसी कोई भी उपयुक्त कार्यवाही किसी भी अदालत अथवा अर्ध न्यायालयीन प्राधिकरण में करने. कंपनी के विरुद्ध जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें कंपनी के हितों की रक्षा करने. किसी भी न्यायालय अथवा अर्ध न्यायालयीन प्राधिकरण में जो शपथपत्र, आवेदन, निवेदन पत्र, विरोध पत्र अपील आदि दाखिल हों उन पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने न्यायालय द्वारा दिये गये फैसलों को लागू करने, कार्यान्वित करने, न्यायालय की आज्ञा का पालन करवा कर उसे संतुष्ट करने, वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने, किसी विवाद का फैसला होने पर यदि किसी व्यक्ति, बोर्ड अथवा अधिकारी से कंपनी का पैसा लेना बनता हो तो उसे वसूल करने की कार्यवाही करने से संबंधित पूर्ण अधिकार. जिन विवादों का निपटारा समिति की सिफारिशों तथा निदेशक (वित्त) की सहमति से अदालत के बाहर कर लिया गया हो उनकी अनुमति प्रबंध निदेशक से ले लेनी होगी.</p>				
5.	आपात् स्थिति	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक के पूर्ण अधिकार	प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक के पूर्ण अधिकार	कार्य संचालन की आवश्यकताओं और कार्यक्षमता के दायरे के अंतर्गत या आपात् स्थिति से निपटने के लिये निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं



					लेकिन इसके तुरंत बाद इसकी रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करके तत्संबंधी अनुमति ले लेनी होगी.
6.	बाह्य निकायों / संस्थानों को, जिनके साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के व्यावसायिक अथवा अन्य तरह के लेनदेन हों, सहायता / अनुदान की स्वीकृति.	निदेशक (वित्त)	हर मामले में रु. 5,000 तक. (वार्षिक सीमा रु. 25,000) कंपनी की नीति के अनुसार	हर मामले में रु. 10,000 तक. (वार्षिक सीमा रु. 50,000) कंपनी की नीति के अनुसार	
7.	कंपनी और इसके कर्मचारियों के लिये व्यावसायिक निकायों / सोसाइटी / बोर्ड आदि में निगमित सदस्यता की अभिस्वीकृति, जहां वार्षिक शुल्क देना हो	निदेशक (वित्त)	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
8.	विविध प्रासंगिक तथा कल्याणकारी योजनाओं जिन्हें बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की हो, से संबंधित मामले जैसे भविष्य	निदेशक (वित्त)	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	

	निधि, ग्रेचुइटी, सेवा निवृत्ति, जी एस एल आई, समूह बीमा, ऋण योजनाएं आदि.				
9.	खरीदारी / कार्य की स्वीकृति / पूर्ण आर्थिक जांच.	उप महाप्रबंधक (वित्त) / प्रबंधक (वित्त) क्षेत्रीय कार्यालयों में वित्त प्रमुख.		रु. 10,00,000 से अधिक	तथापि, कोई ऐसा प्रस्ताव जिसे प्रबंध निदेशक की स्वीकृति की आवश्यकता हो, निदेशक (वित्त) के जरिये ही भेजा जाय.
		मुख्य कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों के उप प्रबंधक (वित्त)/ सहायक प्रबंधक (वित्त)		रु.10,00,000 से कम	
10.	आंतरिक /पूर्व लेखा परीक्षण, कर लेखा परीक्षण, कराधान तथा प्रबंधन सलाह और इनसे संबंधित मामलों के लिये बाह्य विशेषज्ञों की नियुक्ति.	निदेशक (वित्त)	पूर्ण अधिकार निदेशक मंडल को रिपोर्ट सहित.	पूर्ण अधिकार	
		क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख		कर/ कानूनी / प्रबंधन सलाहकारों की नियुक्ति के लिये हर	



				मामले में रु. 20,000 तक. (वार्षिक सीमा रु. 50,000)	
11	पहले से ली हुई स्वीकृतियों के आधार पर विभिन्न पक्षों / एजेंसियों को भुगतान जारी करना.	विभागाध्यक्ष		पूर्ण अधिकार	भुगतान सेवाओं / सामान की पूर्ति के बाद स्वीकृति के आधार पर ही जारी किया जायेगा. भुगतान की शर्तों के अनुरूप ही भुगतान जारी किया जायेगा.